



2026:AHC: 56026

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 5538/2026

बुद्धीसेन कोरी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संजय कुमार श्रीवास्तव, विवेक कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, कुलदीप मिश्रा

#### न्यायालय संख्या-67

#### **माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक कुमार सिंह, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप मिश्रा के होल्डींग ब्रीफ अधिवक्ता श्री मोहम्मद अफजाल अंसारी, और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री विजय बहादुर मौर्य को सुना गया।

2- वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक को विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना शंकरगढ़, जिला प्रयागराज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 92 वर्ष 2025, भा.द.सं. की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, आवेदक एफ.आई.आर. में नामजद नहीं था, लेकिन विवेचना के दौरान सह-अभियुक्त के बयान के माध्यम से उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

4- वह आगे प्रस्तुत तर्क करते हैं कि, यद्यपि अभिकथन के अनुसार आवेदक प्रतिरूपक था, लेकिन इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, वास्तव में आवेदक गरीब मजदूर है और सह-अभियुक्त महेंद्र और उमेश केसरवानी ने उसे वर्तमान मामले में फँसाया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि, उपरोक्त दोनों सह-अभियुक्तों ने किसी तरह उसकी तस्वीरें प्राप्त कीं और उसके बाद उन्होंने कथित फर्जी विक्रय विलेख के लिए उसकी तस्वीरों का उपयोग किया और इसी कारण से आवेदक को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5- वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, यहाँ तक कि सभी कथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 23.12.2025 से यानी पिछले लगभग तीन माह से कारागार में है।

6- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. के साथ-साथ सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि, आवेदक प्रतिरूपक था और यहाँ तक कि कथित धोखाधड़ी में उसकी तस्वीर का भी उपयोग किया गया था, लेकिन वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि सह-अभियुक्त के बयान को छोड़कर कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, जो यह सुझाव दे सके कि, आवेदक प्रतिरूपक था और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और सभी कथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं।

7- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और वाद के अभिलेख का परिशीलन किया।

8- यद्यपि, अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि, कथित फर्जी विक्रय विलेख पर आवेदक की तस्वीरों का उपयोग किया गया था, लेकिन सह-अभियुक्त के बयान और आवेदक के संस्वीकृति कथन को छोड़कर ऐसा प्रतीत होता है कि, कोई साक्ष्य नहीं है, जो यह सुझाव दे सके कि, वह प्रतिरूपक था। इसके अलावा, आवेदक गरीब मजदूर प्रतीत होता है और सभी कथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह लगभग तीन माह से कारागार में है।

9- इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

10- तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

11- पूर्वोक्त वाद में शामिल आवेदक- **बुद्धीसेन कोरी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

12- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

13- यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

17 मार्च, 2026

शहरोज़